



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता-700001

दिनांक:22.04.2026

कार्यालय आदेश सं. 18/2026

इस कार्यालय आदेश सं. 15/2026 दिनांक 13.04.2026 और कार्यालय आदेश सं. 03/2025 दिनांक 22.01.2025 के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड उपनियम 1955 के नियम 45 और 46 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष निम्नलिखित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को उनके पक्ष में सौंपे हैं। बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी की दैनिक गतिविधियों की देखभाल के लिए फैक्टरी सलाहकार अधिकारी श्री के. विवेक, इस शर्त के अधीन कि वह उक्त कार्यालय के अग्रदाय टी बोर्ड खाते को बनाए रखेंगे और चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम, 1954, टी बोर्ड उप-नियम, 1955 और कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णयों के प्रावधानों का भी पालन करेंगे।

1	प्रति अवसर किसी एक मद पर ₹2,00,000 (केवल दो लाख रुपये) तक के व्यय को मंजूरी दें।
2	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से मंजूरी मिलने पर किसी भी राशि के चेक पर हस्ताक्षर करें। ऐसे मामलों में, भुगतान वाउचर के साथ मुख्यालय के मंजूरी पत्र की कॉपी भी होनी चाहिए।
3	अग्रिम राशि ₹10,000/- (केवल दस हजार रुपये) से अधिक न हो और एकमुश्त व्यय सीमा ₹1000/- (विकास कार्य के अलावा) हो।
4	आवश्यकता पड़ने पर किराया, कर, नगरपालिका चार्ज, पानी का बिल, बिजली/टेलीफोन बिल आदि के भुगतान के लिए सही रकम का चेक साइन करना या बैंक को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का निदेश देना।
5	क्यूसीएल सिलीगुड़ी के बैंक खाते संचालित करें
6	बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से संबंध सभी अधिकारियों और कर्मचारियों (स्वयं को छोड़कर) की छुट्टियां मंजूर करना (स्पेशल लीव और सीसीएल को छोड़कर) जिसमें सभी अनुबंध आधारित कर्मचारी शामिल हैं।
7	बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से संबंध सभी अनुबंध आधारित कर्मचारियों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों के लिए टीए/एलटीसी अग्रिम मंजूर करें (स्वयं को छोड़कर)।
8	बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से संबंध सभी अनुबंध आधारित कर्मचारियों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों के दौरे का कार्यक्रम को मंजूरी देना/सिफारिश करना (स्वयं को छोड़कर)

हालाँकि, श्री के. विवेक, फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी और प्रभारी क्यूसीएल को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय अनुशासन और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के नियमों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि निधि बेकार में खर्च न हों। वित्तीय नियम

सिलीगुड़ी के फैक्ट्री एडवाइजरी ऑफिसर, श्री के. विवेक, बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय लाभ के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। वे अगले आदेश तक क्यूसीएल से संबंध दैनिक आधिकारिक कार्यों के लिए टी बोर्ड मुख्यालय, कोलकाता के निदेशक (अनुसंधान) को रिपोर्ट करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:

1	श्री के. विवेक, फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी और प्रभारी क्यूसीएल	
2	निदेशक (अनुसंधान)	
3	उ नि चा वि सिलीगुड़ी	
4	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष और सचिव को छोड़कर)	
5	लेखा अधिकारी	
6	उपाध्यक्ष/वि स एवं मु ले अ/सचिव के निजी सहायक	
7	आईटी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8	TBEA	
9	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित
10	ई-फाइल सं. क्यूसीएल-लेखा/1/2026- अनुसंधान	रिकार्ड के लिए